जनजातीय समाज में महिला सशक्तिकरण संबंधी दृष्टिकोण

*डॉ. मेहश कुमार परदेसी

प्रकृति एवं मानव सदैव एक दूसरे के पूरक रहे है । परिवर्तन एवं मानव व्यवहार भी सदैव से ही सबंद्ध रहे है । अपनी चेतन प्रवृति की वजह से मानव सामाजिक स्वरुप एवं सरोकरो में अपनी विशेष भूमिका आज भी बनाए हुए है । मानव सदैव से ही अपनी प्राचीन परम्पराओं को छोडने अथवा बदलने अथवा परिवर्तित स्वरुप में उसे स्वीकार्य करने में अत्यंत गंभीर रहा हैं ।

आज के बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में विश्व के अन्य देशों की तरह भारतीय समाज में भी लैंगिग समानता एक क्रॉतिकारी मुददे के रुप में विद्यमान हैं । लैंगिग समानता के सदप्रयासों के चलते महिला सशक्तिकरण की अवधारणा का यह नारा राजनैतिक दलों को अत्यंत प्रिय है ।

समाज के प्रबुद्ध वर्ग के विशिष्ट व्यक्ति भी महिला सशक्तिकरण के पक्षधर है ।

भारत जैसे बहुभाषी, बहुवाणी, बहुजातीय एवं बहुभौगोलिक परिवेश में महिला एवं पुरुष के सभी अधिकार सामाजिक परम्परा के रुप में विभक्त है ।

व्यक्ति , परिवार ,गोत्र,समूह ,कुल आदि उसकी ईकाईयां है । सांस्कृतिक जीवन में भी महिला एवं पुरुष अधिकार तथा कर्तव्य एवं कार्य क्षेत्र में पारम्पारिक रुप से सारा भारतीय समाज अपने–अपने महिला पुरुष अधिकारों और कर्तव्यों की समांनातर स्वतंत्रता को केवल परम्परात्मक रुप से वांचित संस्कार के रुप में स्वअनुशासन के द्वारा पालता है, अंगीकृत करता है एवं बडी निष्ठा लगन से जीवन व्यतीत करता है।

जनजातीय समाज अत्यंत सहज, सरल समाज है, इस समाज में स्वतंत्रता का अर्थ जीवन जीना है । सभ्य समाज में स्वतंत्रता का आशय एक अनिवार्य जीवन की शर्त है, मसलन सभ्य समाज बगैर राज्य, धर्म नागरिक कानून के नियमों के बगैर निजता (स्वतंत्रता) के बारे में सोच भी नही सकता है । क्योंकि सभ्य समाज में समस्त अधिकार एवं कर्तव्य स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में ही परिभाषित होते है, तथा उनके नियमांक भी राज्य, धर्म तथा कानूनी संस्थाएं है।

सभ्य समाज के इस संकुचित दृष्टिकोण के आधार पर ही प्रायः हम जनजातीय समाज के अधिकार एवं स्वतंत्रता को देखना पंसद करते है । किन्तु इसके विपरीत जनजातिय समाज में स्वतंत्रता उन्मुक्त है, अर्थात जनजातीय समाज का मानव चाहे महिला हो अथवा पुरुष वह मुक्त है । इन समाजों में मानव स्वयं को राज्य, धर्म तथा कानूनी परिप्रेक्ष्य में नही बांधना चाहता अपितु वाचिक तथा पराम्परात्मक होकर स्वअनुशासन से शासित होकर स्वतंत्र रहना चाहता है ।

जनजातिय समाज में महिलाऐं आधुनिक ,नगरीय ,पाश्चात्य समाज की तुलना में अधिक प्रभुत्व रखती है । क्योंकि महिला को सशक्त बनाने का अधिकार इस समाज में कानून नही वरन एक सामाजिक परम्परा है, सर्वविदित है कि भारतीय जनजातिय समाज में मातृसत्तात्मक एवं पितृसतात्मक दोनों ही प्रकार के परिवार पाये जाते है।

जनजातिय समुदायों में विवाह पुनः विवाह, विवाह योग्य वर–वधू का चयन, वर एवं वधू मूल्य, तलाक एवं विवाह विच्छेद, सम्पति संबंधी अधिकार तथा विवाह पूर्व लडके और लडकी का अपनी ससुराल में रहकर कार्य करना महिलाओं की स्वतंत्रता तथा अधिक सजग अधिकारों की पुष्टि करता है । सनातन काल से यह स्वरूप परम्परात्मक रुप से आज भी प्रचलन में है । कहने का आशय यह है कि महिला सशक्तिकरण जहॉं सभ्य समाज में एक आंदोलन है, नारा है, अभियान है, लक्ष्य है ।

वही जनजातिय समाज में यह एक जीवन्त परम्परा है इस विशेष अर्थ को समझे बिना ,जाने बिना हम जनजातीय समाज में महिलाओं की शक्ति और अधिकारों की व्याख्या ही नहीं कर सकते है ।

भारत में मानवशास्त्र के अध्ययन के लिए सदैव से ही पश्चिमी दृष्टिकोण पर आधारित शोध प्रणाली का प्रयोग किया जाता रहा है, जो भारतीय जनजातीय समुदायों की समग्रता को समझ पाने में असफल रहा है ।

भारत में जनजातियों के जीवन यापन तथा परम्परा का अध्ययन एक सरल भारतीय दृष्टिकोण एवं नवीन शोध प्रणाली की अपेक्षा रखता है ।

जिससे जनजातीय समुदाय की समग्रता का अर्थ सहजता से समझा जा सकें । भारत में जनजातीय समाज भी विविधता लिए हुए है । ऐसे विषमांगी समाज में प्रत्येक जनजाती की अपनी अलग–अलग वाचिक विधान संहिता है। जिन्हें समझे बगैर हम जनजातीय समाज में महिला सशक्तिकरण की स्थिति को सहजता से समझ ही नही सकते ।

सामान्यतः जन्म, विवाह ,तलाक, पुनः विवाह बच्चों पर स्त्री का अधिकार और संपत्ति पर स्त्री की भागीदारी के अलावा

* सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झाबुआ

यह तथ्य भी अधिक महत्वपूर्ण है, कि हम धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परम्परा में महिलाओं की सहभागिता की स्थिति को जानना भी आवश्यक समझे , उक्त समस्त प्ररुप सभी जनजातीय समाजों में पुरुष का वर्चस्व सिद्ध नही कर पाते है जैसा कि हमें सभ्य विकसित समाज में दिखाई देता है । मातृसत्तात्मक जनजातीय परिवारों में यह परम्परा अधिक जीवन्त है ।

वहॉ महिला की स्थिति और अधिकार पितृसत्तात्मक समाज की तुलना में अधिक विस्तृत और प्रभावी है ।

इतना कुछ होते हुए भी जनजातीय समाज में महिलाऐं आज भी शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगार, मनोरंजन, असमान आय अर्जन की विसंगतियों का सामना कर रही हैं । अर्थात आज भी अत्यंत पिछड़ी अवस्था में जीवन जी रही हैं ।

ऐसे जनजातीय क्षेत्रों की पहचान कर उन क्षेत्रो में महिला सशक्तिकरण के लिए सदप्रयास करना हमारे देश के नीतिकारों तथा समाज वैज्ञानिको के लिए आज भी एक चुनौति है जिसका सामना दृढता से किए जाने की आवश्यकता है ।

संदर्भ ग्रंथ

1. हेबर मास, जे (1981) : माडर्निटी वर्सेस पोस्टमाडर्निटी, न्यू जर्मन क्रिटिक अंक 22,
2. गिडेन्स, एन्थोनी (1991) : मॉडर्निटी एण्ड सेल्फ आयडेंटेटी, पॉलिटी, कैम्ब्रिज .
3. शर्मा, सी.एल. (1998) : भील समाज कला और संस्कृति मालती प्रकाशन जयपुर
4. भारत 2007, सूचना एवं प्रकाशन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली 2007
5. नदीम, हसनैन, जनजातीय भारत